संख्या- 52 /2024/ 152 मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2024/ई-1798752

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2024**

विषय: मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत एवं विस्तारित नगर पालिका परिषद को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/393/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0 /2023-24, दिनांक-25.10.2023, पत्र सं0-तक0सेल/405/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0 /2023-24, दिनांक-28.10.2023, पत्र सं0-तक0सेल/409/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0 /2023-24, दिनांक-30.10.2023, पत्र सं0-तक0सेल/435/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0आर0 /2023-24, दिनांक-06.11.2023 एवं पत्र सं0-तक0सेल/493/28-मु0मं0न0सृ0यो0/डी0पी0 आर0/2023-24, दिनांक-01.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त पत्र में उल्लिखित निकायों हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/ उच्चीकृत/सीमा विस्तारित निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत एवं विस्तारित नगर पालिका परिषद में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक विकास/सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से नवसृजित नगर पंचायत एवं विस्तारित नगर पालिका परिषद की संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराने हेतु कुल धनराशि रू0 653.22 लाख (रू0 छ: करोड़ तिरपन लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में सम्पूर्ण धनराशि रू0 653.22 लाख (रू0 छ: करोड़ तिरपन लाख बाईस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/ 125/ 2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

5. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

7. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।

8. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

9. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

10. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

11. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

12. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

14. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

17. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कायदिश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

18. संबंधित निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोंपरान्त एक प्रतिशत ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि सम्मिलित है। जिन निकायों द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में तीन प्रतिशत, आई0ई0सी0 एवं ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि शामिल की गयी है, उन

निकायों को केवल एक प्रतिशत ए0एण्डओ0ई0 मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

19. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकायों को उपलब्ध करायी जाये।

20. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 03 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

21. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।

22. प्रस्तावित कार्यों के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश दिनांक-08.08.2022 के अन्तर्गत गठित समिति के माध्यम से सत्यापन भी करा लिया जाये।

23. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।

24. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,31,63,000 (रुपये दो करोड़ इकतीस लाख त्रेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801920300 उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2) रुपये 4,21,59,000 (रुपये चार करोड़ इक्कीस लाख उनसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801930300 नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by संजय
कुमार तिवारी
Date: 15-03-2024 10:13:56
Reason: Approved

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

I/520481/2024

संख्या- 52(1) / 152 मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।

(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) संबंधित मण्डलायुक्त।

(7) संबंधित जिलाधिकारी।

(8) संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत द्वारा निदेशक।

(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।

(10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- / मु0मं0न0सृ0यो0-9-2-2024 कम्प्यूटर सं0-1798752, दिनांक- 14.03.2024 का अनुलग्नक

1- **नवसृजित नगर पंचायत , दुदही, जनपद-कुशीनगर**

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड संख्या-02 जय प्रकाश नरायण नगर में पी0डब्लू डी0 रोड से सुबाष राय के घर तक सी0सी0 रोड व आर0सी0सी नाली निर्माण कार्य।	26.76	26.76
2	वार्ड संख्या-03 सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में एम0आर0एफ0 सेन्टर के बगल से पुलिया तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य।	18.83	18.83
3	वार्ड संख्या-15 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में गौरी कुशवाहा के घर से अब्दुल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	10.38	10.38
4	वार्ड संख्या-15 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में गौरी कुशवाहा के घर से अब्दुल के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	6.68	6.68
5	वार्ड संख्या-10 श्रीराम जानकी नगर में राकेश गुप्ता के घर से दिनानाथ के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य।	6.26	6.26
6	वार्ड संख्या-04 रविन्द्र नाथ टौगोर नगर में इरफान अहमद के घर से जैनुल अंसारी के घर के बगल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	19.63	19.63
7	वार्ड संख्या-06 डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगर में इरशाद के घर से जितेन्द्र यादव के घर तक सी0सी0रोड निर्माण कार्य।	10.87	10.87
8	वार्ड संख्या-09 लाल बहादुर शास्त्री नगर में संदीप कुशवाहा के घर से प्रमोद जायसवाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	10.37	10.37
9	वार्ड संख्या-12 अठल बिहारी बाजपेयी नगर में सोनू जायसवाल के घर से गॉधी चौक शौचालय के बगल तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	28.34	28.34
10	वार्ड संख्या-15 डा0 राजेन्द्र प्रसाद नगर में कैलाश गिरी के घर से सहादुल गद्दी के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य।	11.32	11.32
11	वार्ड संख्या-10 श्रीराम जानकी नगर में गॉधी चौक से ब्लाक मेन रोड तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 10 अदद एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट मय पोल के स्थापना कार्य।	10.28	10.28
12	वार्ड संख्या-13 वीर अब्दुल हमीद नगर में रेलवे ढाला से नगर मईहरवा मोड तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 10 अदद एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट मय पोल के स्थापना कार्य।	10.28	10.28
13	वार्ड संख्या-09 लालबहादुर शास्त्री नगर में विवाह भवन के बगल में पार्क ओपने जीम व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	27.70	27.70

	1% (ए0एण्ड0ओ0ई0)	1.97	1.97
	योग	**199.67**	**199.67**
		(रू0 एक करोड़ निन्यानवे लाख सड़सठ हजार मात्र)	

2. नवसृजित नगर पंचायत, गौराबादशाहपुर, जनपद-जौनपुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	वार्ड न0 13 एकरामगंज में नगर पंचायत के पास पार्क का विकास करने का कार्य।	57.46	57.46
2	नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में मेनरोड से नये कार्यालय भवन तक 07 मीटर लम्बाई हेरिटेज पोल पर 100 वाट हेरिटेज एल0ई0डी0 लाइट से प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	29.71	29.71
3	न0पं0 गौराबादशाहपुर के मुख्य बाजार में में पुलिस चौकी की तरफ संजय टी स्टाल से पंचायत सीमा तक आर0सी0सी0 नाली व इंटरलॉकिंग पटरी निर्माण कार्य।	39.31	39.31
4	न0पं0 गौराबादशाहपुर के मुख्य बाजार में उत्तरी तरफ कुकुहा मोड़ से नये कार्यालय रोड तक तक आर0सी0सी0 नाली व इंटरलॉकिंग पटरी निर्माण कार्य।	39.96	39.96
5	न0पं0 गौराबादशाहपुर के मुख्य बाजार में दक्षिणी तरफ थाना मोड़ से सच्चिदानंद पुत्र महेंद्र यादव के मकान तक आर0सी0सी0 नाली व इंटरलॉकिंग पटरी निर्माण कार्य।	39.58	39.58
	1% (ए0एण्ड0ओ0ई0)	2.06	2.06
	योग	**208.08**	**208.08**
		(रू0 दो करोड़ आठ लाख आठ हजार मात्र)	

3. नवसृजित नगर पंचायत, कचगांव, जनपद-जौनपुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	वार्ड न0 10 मझलेपुर में पेयजल हेतु पाइपलाइन विस्तार कार्य।	8.95	8.95
2	वार्ड न0 04 जेठपुरा में पेयजल हेतु पाइपलाइन विस्तार कार्य।	4.75	4.75
	1% (ए0एण्ड0ओ0ई0)	0.14	0.14
	योग	**13.84**	**13.84**
		(रू0 तेरह लाख चौरासी हजार मात्र)	

4. विस्तारित नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड न. 9 मौ०राधा एन्क्लेव में देवेन्द्र शास्त्री के मकान से कुलभूषण के मकान तक ,राजपाल सिंह के मकान से डॉ पंकज के मकान तक नाली व सी०सी० द्वारा सड़क का निर्माण कार्य।	37.91	37.91
2	वार्ड नं0 15 रजवाहा की साईड पटरी पर उपदेश प्रधान से आकाश शर्मा के मकान तक नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	39.78	39.78
3	वार्ड नं0 21 वेद माता शक्ति पीछ से क्यूब रिसोर्ट के आगे व राईट साईड वाली सड़क में नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	39.17	39.17
	1% (ए0एण्ड0ओ0ई0)	1.17	1.17
	योग	**118.03**	**118.03**

(रू0 एक करोड़ अठ्ठारह लाख तीन हजार मात्र)

5. विस्तारित नगर पालिका परिषद, मुगरा बादशाहपुर, जनपद-जौनपुर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	मो० सरोखनपुर द्वितीय में सभाजित यादव के मकान से प्रा०वि० तक सी०सी० सड़क व निर्माण कार्य।	15.79	15.79
2	मो० भगत सिंह में गौरी हरिजन के मकान से रविशंकर मौर्या के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.93	18.93
3	मो० कमालपुर में अनिल कुमार प्रजापति के मकान से तरहठी रोड तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	16.08	16.08
4	मो० सरायरुस्तम में हरीमोहन के मकान से प्रयागराज मेन रोड तक दोनों पटरी पर नाली निर्माण कार्य व तलाब के किनारे रिटेनिंग दीवार बनाने का कार्य।	32.89	32.89
5	मो० सरोखनपुर द्वितीय में जु०हा० स्कुल विद्यालय से मुन्नीलाल के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	28.79	28.79
	1% (ए0एण्ड0ओ0ई0)	1.12	1.12
	योग	**113.60**	**113.60**

(रू0 एक करोड़ तेरह लाख साठ हजार मात्र)